

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0011 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 18/01/2024 19:19 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(a)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
4	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 01/01/2019 Date To (दिनांक तक): 31/12/2022
Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 18/01/2024 Time (समय): 15:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय): 18/01/2024 19:19:44 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 278 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): Raypur, Raypur Bhilwara

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): BALRAM SINGH MEENA

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 01/01/1969 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Needar, Aamer, JYOTI NAGAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Needar, Aamer, JYOTI NAGAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-9413335355

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Jya Chodhary		पति:Jagdish jat	1. Mandaka kera,Raypur Bhilwara,RAIPUR(BHILWARA),B HILWARA,RAJASTHAN,INDIA
2	Rajendar Kumar Sharma		पिता:Ramkalyan	1. RKPuram Sitapura pulya,JAIPUR,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA
3	Jagdish Chand Jat		पिता:Bhrulal Jat	1. Mandaka kera,Raypur Bhilwara,BHILWARA,RAJASTHAN,INDIA
4	Vikram Chodhary		पिता:Rameshwer Chodhary	1. D/3,Staf Coloni MLV Tex Road,Bhilwara,BHILWARA,RAJASTHAN,INDIA
5	Kamla Chodhary And Any		पति:Rameshwer Chodhary	1. Bhilwara,BHILWARA,RAJASTHAN

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,06,71,039.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)

1,06,71,039.00

(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि ब्यूरो मुख्यालय पर सूत्र सूचना प्राप्त हुई कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना वर्ष 2010 में राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958. के अन्तर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बद्ध इस परिषद का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन व निर्धन परिवारों को आजीविका संवर्द्धन से संबंधित परियोजनाओं व कार्यक्रमों को सहज व प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करना है। जिला भीलवाडा तहसील रायपुर में राज्य सरकार के द्वारा नारी शक्ति महिला सर्वांगीण विकास हेतु योजना चलाई जाती है। उक्त सी-एल-एफ- संस्था में सरकार कि और से वित्तिय फण्ड आता है] जिसको उक्त संस्था वी-ओ- महिला ग्राम संगठन के अधीन स्वयं सहायता समूह कि महिलाओं का ऋण प्रदान करती है। उक्त योजना के अन्तर्गत ग्राम मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा में नारी शक्ति महिला सर्वांगीण विकास समिति मोखुन्दा है। रायपुर ब्लॉक की 07 ग्राम पंचायतों की लगभग 3000 महिलाएँ इससे जुडी है। मोखुन्दा कलस्टर में कुल 261 स्वयं सहायता समूहों के उपर 28 ग्राम संगठन बने हुऐ है। नियमानुसार स्वयं सहायता समूहों में महिलाएँ साप्ताहिक बचत करती है। तत्पश्चात समूहों के बचत खाते बैंक में खुलवाये जाते है। समूहों के उपर ग्राम संगठन बनाये जाते है और इनके भी बचत खाते तीन महिलाओं के सम्मिलित नाम से बैंक में खाते खुलवाये जाते है। राजीविका परियोजना के अनुसार सभी समूहों के खाते में जिले द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 1,10,000 रूपये डलवाये जाते है और समूह इनकी किशत व ब्याज मासिक रूप से ग्राम संगठन में जमा कराते है तथा ग्राम संगठनों से संस्था में मासिक रूप से किशते चैक द्वारा ली जाती है। जिसमें श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पिता रामकल्याण शर्मा निवासी 202,आरकेपुरम सीतापुरा पुलिया के पास जयपुर जो कि ब्लॉक इंचार्ज के पद पर कार्यरत होकर ब्लॉक से ही कलस्टर की मोनीटिरिंग करता था इनके द्वारा मांगी गयी सभी सूचनाओं को भेजना इनके द्वारा कहे गए सभी कार्य कलस्टर मैनेजर को करने होते है। उक्त संस्था में कलस्टर मैनेजर के पद पर श्रीमती जया चौधरी पत्नी श्री जगदीश चन्द्र चौधरी जाति जाट निवासी मावड का खेडा पंचायत मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा ने अपने पति श्री जगदीश चौधरी, माता श्रीमती कमला चौधरी एवं भाई विक्रम के खाते में संस्था की राशि 1,06,71,039 एक करोड छ लाख इगतर हजार उनचालिस रूपये स्थानान्तरित कर अपने पद का दुरुपयोग कर स्वयं व श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा उपयोग में ले लिया। श्रीमती जया चौधरी उक्त संस्था में कलस्टर मैनेजर के पद का दुरुपयोग करते हुऐ विभिन्न वी-ओ- महिला ग्राम संगठन के अधीन स्वयं सहायता समूह कि महिलाओं को ऋण उपलब्ध करने हेतु विभिन्न वी-ओ- महिला ग्राम संगठन के पदाधिकारियों से चैकस लेती थी। जिसके संबंध में श्रीमती जया चौधरी पदाधिकारियों को विष्वास दिलाती थी कि उक्त चैकस् के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ऋण की राशि प्रदान कर दी जायेगी। लेकिन श्रीमती जया चौधरी व पति श्री जगदीशचन्द्र चौधरी एवं श्री राजेन्द्र कुमार ने आपसी मिलिभगत कर वी-ओ-महिला ग्राम संगठन से प्राप्त चैकस् के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाली महिलाओं की कुलिया ऋण राशि में से 1,06,71,039 रूपये अपने खातां व अपने मिलने वालों के बैंक खातों में स्थानान्तरित कर दी। इस प्रकार श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ब्लॉक इंचार्ज व श्रीमती जया चौधरी कलस्टर मैनेजर नारी शक्ति महिला सर्वांगीण विकास समिति मोखुन्दा तहसील भीलवाडा, श्री जगदीशचन्द्र चौधरी व अन्य के द्वारा राज्य सरकार व वीओ महिला ग्राम संगठन से प्राप्त चैक से प्राप्त राशि 1,06,71,039 रूपये को स्वयं व अपने मिलने वालो के बैंक खातों मे स्थानान्तरित कर अनुचित लाभ प्राप्त कर लिया व राज्य सरकार व महिला संगठन को 1,06,71,039 रूपये का भारी नुकसान पहुंचाया है। वगैराह रिपोर्ट पर प्राथमिक जांच संख्या 29/23 दर्ज होने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के

द्वारा जांच की गई। जांच से पाया गया कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना वर्ष 2010 में राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बद्ध इस परिषद का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन व निर्धन परिवारों को आजीविका संवर्द्धन से संबंधित परियोजनाओं व कार्यक्रमों को सहज व प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करना है। जिला भीलवाडा तहसील रायपुर में राज्य सरकार के द्वारा नारी शक्ति महिला सर्वांगीण विकास हेतु योजना चलाई जाती है। उक्त सी-एल-एफ- संस्था में सरकार कि और से वित्तिय फण्ड आता है, जिसको उक्त संस्था वी-ओ- (महिला ग्राम संगठन) के अधीन स्वयं सहायता समूह कि महिलाओं का ऋण प्रदान करती है। उक्त योजना के अन्तर्गत ग्राम मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा में नारी शक्ति महिला सर्वांगीण विकास समिति मोखुन्दा है। रायपुर ब्लॉक की 07 ग्राम पंचायतों की लगभग 3000 महिलाएँ इससे जुडी है। मोखुन्दा कलस्टर में कुल 261 स्वयं सहायता समूहों के उपर 28 ग्राम संगठन बने हुऐ है। नियमानुसार स्वयं सहायता समूहों में महिलाएँ साप्ताहिक बचत करती है। तत्पश्चात समूहों के बचत खाते बैंक में खुलवाये जाते है। समूहों के उपर ग्राम संगठन बनाये जाते है और इनके भी बचत खाते तीन महिलाओं के सम्मिलित नाम से बैंक में खाते खुलवाये जाते है। राजीविका परियोजना के अनुसार सभी समूहों के खाते में राज्य सरकार/जिले द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 1,10,000 रूपये डलवाये जाते है और समूह इनकी किशत व ब्याज मासिक रूप से ग्राम संगठन में जमा कराते है तथा ग्राम संगठनों से संस्था में मासिक रूप से किशते चैक द्वारा ली जाती है। जांच से पाया गया कि कलस्टर मैनेजर के द्वारा महिला समूह का सुपरविजन किया जाता है कलस्टर मैनेजर को महिला समूह के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। महिला समूह के द्वारा ग्राम संगठन की नियुक्ति की जाती है ग्राम संगठन के द्वारा सीएलएफ की नियुक्ति की जाती है। सीएलएफ चार पंच ग्राम पंचायत के ग्राम संगठन पर होती है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा महिला सशक्तिकरण में गरीब महिलाओं के उन्मूलन/विकास से संबंधित है। 10-12 महिलाओं का एक समूह बनता है उसमें उनके कायदे/कानून महिला समूह के द्वारा बनाया जाता है तथा महिलाओं के द्वारा पदाधिकारी नियुक्ति किये जाते है अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष होते है। महिलाओं समूह के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में अपनी बचत राशि अलग अलग एकत्रित की जाती है उक्त राशि महिला समूह में जिस महिला को आवश्यकता होने पर राशि दी जाती है। जिसका ब्याज का निर्णय भी महिला समूह के द्वारा किया जाता है। जो महिला लोन लेते है उक्त राशि व ब्याज सहित देने पर अन्य महिलाओ को दिया जाता है। इसके पश्चात महिला समूह के नाम बैंक में खाता खोला जाता है। राज्य सरकार के द्वारा जो राशि महिलाओ के विकास के लिए आती है उक्त राशि सीधे ही महिला समूह के बैंक खातों में आती है। महिला समूह तीन महिना पुराना होने पर राज्य सरकार से 15000 रूपये आते है उक्त राशि महिला समूह को ब्याज पर दी जाती है। इसके पश्चात महिला समूह 6 माह पुराना होने पर राज्य सरकार से पूर्व में 110,000 रूपये आते थे जो महिला समूह को ब्याज पर दिये जाते थे। महिला सर्वांगीण विकास समिति मोखुन्दा तहसील रायपुर में श्रीमती जया चौधरी कलस्टर मैनेजर के पद पर थी तथा श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ब्लॉक इन्चार्ज के पद पर था। 07 ग्राम पंचायत के उपर एक नारी शक्ति समूह है जिसमे 28 ग्राम संगठन है। नारी शक्ति समूह में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के पद होते है। ग्राम संगठन समूह से श्रीमती जया चौधरी के द्वारा खाली चैक पर महिलाओ के हस्ताक्षर करवाती तथा महिला संगठन के सामने राशि नही भरती थी। श्रीमती जया चौधरी ने अपने पति के बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खाता संख्या 40100100018754 में 01 लाख रूपये स्थानान्तरित की गई। अब तक की सम्पूर्ण जांच, दस्तावेजात, बयानात तथ्यों एवं परिस्थितिजन्यो साक्ष्यों से पाया गया कि श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पिता रामकल्याण शर्मा निवासी 202, आरकेपुरम सीतापुरा पुलिया के पास जयपुर जो कि ब्लॉक इंचार्ज के पद पर कार्यरत होकर ब्लॉक से ही कलस्टर की मोनीटिरिंग करता था इनके द्वारा मांगी गयी सभी सूचनाओं को भेजना, इनके द्वारा कहे गए सभी कार्य कलस्टर मैनेजर को करने होते है। श्रीमती जया चौधरी उक्त संस्था में कलस्टर मैनेजर के पद का कार्य करते हुऐ विभिन्न वी-ओ- महिला ग्राम संगठन के अधीन स्वयं सहायता समूह कि महिलाओं को ऋण उपलब्ध करने हेतु विभिन्न वी-ओ-महिला ग्राम संगठन के पदाधिकारियों से चैकस लेती थी। जिसके संबंध में श्रीमती जया चौधरी पदाधिकारियों को विष्वास दिलाती थी कि उक्त चैकस् के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ऋण की राशि प्रदान कर दी जायेगी। राज्य सरकार से राजीविका के जिला परियोजना प्रबंधक ईकाई के नाम से पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 4667000100035950 व बैंक ऑफ बडौदा के खाता संख्या 39510100000377 से नारी शक्ति महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति मोखुन्दा के महिला ग्राम संगठन व स्वयं सहायत समूह के 168 बैंक खाता में लगभग 17330000 रूपये स्थानान्तरित किये। उक्त राशि में अनियमितता होने की जानकारी मिलने पर जिला परियोजना प्रबंधक भीलवाडा द्वारा जांच हेतु कमेटी बनाई गई, उक्त कमेटी द्वारा जांच से पाया गया कि उक्त संस्था में कलस्टर मैनेजर के पद पर श्रीमती जया चौधरी पत्नी श्री जगदीश चन्द्र चौधरी जाति जाट निवासी मावड का खेडा पंचायत मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा ने अलग अलग समय में अपने बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में स्थित खाता संख्या 40100100017815 व खाता संख्या 4010020000065 में 7282000 रूपये तथा अपने पति श्री जगदीश चौधरी के बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खाता संख्या 40100100018754 में 01 लाख रूपये एवं माता श्रीमती कमला चौधरी के बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में स्थित खाता संख्या 4010010006952 में 70000 रूपये एवं भाई विक्रम के खाते में 50,000 रूपये एवं

अपने स्वयं के समूह भोलेनाथ एसएचजी के बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खाता संख्या 40100100017598 में 1104039 तथा अन्य में 2065000 रूपये कुल राशि 1,06,71,039/- (एक करोड़ छ लाख इगतर हजार उनचालिस रूपये स्थानान्तरित कर अपने पद का दुरुपयोग कर स्वयं व श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा उपयोग में ले लिया। इस प्रकार श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ब्लॉक इंचार्ज व श्रीमती जया चौधरी क्लस्टर मैनेजर नारी शक्ति महिला सर्वांगीण विकास समिति मोखुन्दा तहसील भीलवाडा, श्री जगदीश चन्द्र चौधरी व अन्य के द्वारा आपसी मिलीभगत कर षडयन्त्र रचकर राज्य सरकार व वीओ महिला ग्राम संगठन की राशि 1,06,71,039/- रूपये को स्वयं व अपने मिलने वालो के बैंक खातों में स्थानान्तरित कर अनुचित लाभ प्राप्त कर लिया व राज्य सरकार व महिला संगठन को 1,06,71,039 रूपये का भारी नुकसान पहुंचाये जाने का कृत्य किया है। श्री राजेन्द्र शर्मा तत्कालीन ब्लॉक इंचार्ज राजीविका भीलवाडा व श्रीमती जया चौधरी तत्कालीन क्लस्टर मैनेजर महिला सर्वांगीण विकास रायपुर भीलवाडा, श्री जगदीश, श्री विक्रम व श्रीमती कमला व अन्य के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 12,13(1) (ए) सपठित 13(2) पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित अधिनियम 2018) एवं 120 (बी) का अपराध कारित करना पाये जाने से बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है। भवदीय, एसडी/(बलराम सिंह मीणा) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो जयपुर नगर चतुर्थ जयपुरा...कार्यवाही पुलिस...प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री बलराम मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 12, 13(1)(क) सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) 120बी भा.द.स. में आरोपीगण 1. श्रीमती जया चौधरी पत्नी श्री जगदीश चन्द्र जाट, निवासी ग्राम माण्डका खेडा तहसील रायपुर, भीलवाडा तत्कालीन क्लस्टर मैनेजर, नारी शक्ति महिला सर्वांगीण विकास समिति मोखुन्दा तहसील भीलवाडा 2. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामकल्याण शर्मा निवासी मकान नम्बर 202, सीताराम पुलिया के पास जयपुर तत्कालीन ब्लॉक परियोजना प्रबंधक भीलवाडा, 3. श्री जगदीश चन्द्र जाट पुत्र श्री भैरूलाल जाट निवासी ग्राम माण्डका खेडा तहसील रायपुर, भीलवाडा (प्राईवेट व्यक्ति) 4. श्रीमती कमला चौधरी (प्राईवेट व्यक्ति) 5. श्री विक्रम चौधरी (प्राईवेट व्यक्ति) व अन्य के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 11/2024 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर अनुसंधान अधिकारी श्रीमती रजनी मीना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर को सुपुर्द किया गया। उक्त के सम्बन्ध में रोजनाचा आम रिपोर्ट संख्या 271 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक:-45-50दिनांक18.01.2024प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भीलवाडा। 2.अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3.प्रबन्धक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्, जयपुर। 4.उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 5.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर। 6.अति. पुलिस अधीक्षक-परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (पी.ई.29/23)। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

(जाँच अधिकारी का नाम):

RAJNI MEENA

Rank

(पद):

निरीक्षक

No(सं.):

to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Vishna Ram

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1996				
2	Male	1988				
3	Male	1994				
4	Male	1994				
5	Female	1974				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)